

सर्वे में शामिल 18 से 25 वर्षों ने कहा कि पाते तो बाद में के अलावा एक ए डिफेंड आफ कि 'मन की ध्यम से विकास को बढ़ावा दिया। लेकर इंस्टीट्यूट माई इंडिया और शान के साथ यह

आधारित प्लेटफार्म अध्ययन के अनुसार लिए 37 प्रतिशत का इस्तेमाल डेयो, 15 प्रतिशत सुनते हैं। 'मन न अक्टूबर 2014 तक इसके 99

भी होगा सीधा मन की बात' के राष्ट्र मुख्यालय एगा। संयुक्त राष्ट्र ने ट्वीट किया, र हो जाइए। पीएम 100 वें एपिसोड हाल में ट्रस्टीशिप रण होने वाला है। ज्य दूतावास में भी या जाएगा।

विज्ञापन सं०-279/GMC/Purchase/April/2023-24

प्राचार्य



उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
46वीं आईटी पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
E-mail: msukpcb@yahoo.com, फोन: 0135-2607092

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

मै० संगम मिनरल्स, सूरजकुण्ड बागेश्वर, तहसील एवं जिला बागेश्वर द्वारा करूली तोक कालीगाड रेखाडी सोपस्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट, ग्राम करूली तोक कालीगाड रेखाडी, तहसील एवं जिला बागेश्वर में सोपस्टोन माइनिंग (क्षेत्रफल - 4.497 है०) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 (यथासंशोधित) के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु "पैनल" की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत् है:-

1. जिलाधिकारी, जनपद बागेश्वर या उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि जो जिला स्तरीय अधिकारी हो - लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
 2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।
- प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख (i) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 25-सुभाष रोड, देहरादून (ii) मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौरा देवी पर्यावरण भवन, 46-वीं, आईटी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून (iii) क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल (iv) कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर (v) कार्यालय, जिला पंचायत, बागेश्वर (vi) जिला उद्योग केन्द्र, बागेश्वर में उपलब्ध हैं, जिनका कोई भी इच्छुक संस्था/व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं सारांश की प्रति www.ueppcb.uk.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

मै० संगम मिनरल्स, सूरजकुण्ड बागेश्वर, तहसील एवं जिला बागेश्वर द्वारा करूली तोक कालीगाड रेखाडी सोपस्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट, ग्राम करूली तोक कालीगाड रेखाडी, तहसील एवं जिला बागेश्वर में सोपस्टोन माइनिंग (क्षेत्रफल - 4.497 है०) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 02.06.2023 को प्रातः 11:00 बजे से परियोजना स्थल में तत्समय कोविड-19 के संदर्भ में विद्यमान SoP के अधीन सोशल डिस्टेंसिंग, आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग, धर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंडवाश व सेनेटाइजर तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों के साथ निर्धारित की जाती है।

अतः सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियों एवं आपत्तियों इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

20/04/2023